जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 16 संख्याः 344 प्रभात चूरू, रविवार 13 अप्रैल, 2025 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की सीमा निर्धारित की

राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय लेना होगा कि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये विधेयक को स्वीकार करें या अस्वीकार

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अप्रेल। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, पहली बार यह निर्धारित कर दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विचारार्थ भेजे गये विधेयकों पर, राष्ट्रपति को तीन महीने में निर्णय ले लेना चाहिये। इस अवधि की गणना विधेयक की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।

शीर्ष अदालत ने संविधान में प्रतिपादित देश के संघीय ढ़ाँचे के सिद्धांत को परिभाषित किये जाने को रेखांकित किया तथा कहा, "हम गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा पर अमल करना उचित समझते हैं। --- तथा यह तय करते हैं कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे गये विधेयकों पर तीन महीने की अवधि में निर्णय ले लें। इस अवधि की गणना, इन विधेयकों की प्राप्ति की तिथि से की जायेगी।"

अदालत ने कहा, "इस अवधि से अधिक समय लगने की स्थिति में, समुचित कारण संबंधित राज्य को बताने होंगे। राज्यों के लिये भी यह जरूरी होगा कि वे उन प्रश्नों के उत्तर देकर, इस कार्य में पूरा सहयोग करें, जो प्रश्न केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये हैं तथा राज्य, केन्द्र सरकार के सुझावों पर शीघ्र ही विचार करें।"

- अगर, तीन माह में यह निर्णय नहीं होता है तो राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि इस मामले पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाये और न्यायालय से समाधान मांगे।
- ये तीन महीने उस दिन से शुरु होंगे, जिस दिन राष्ट्रपति को, राज्य सरकार से विधेयक अधिकृत रुप से प्राप्त होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, राज्यपाल को भी प्रतिबंधित किया है कि जब विधानसभा से पारित विधेयक उनके पास आता है, उस दिन से तीन महीने में राज्यपाल को विधेयक के बारे में निर्णय लेना होगा।
- अगर, दूसरी बार विधानसभा विधेयक को पारित करके राज्यपाल को भेजे तो राज्यपाल के पास यह विकल्प नहीं होगा कि वे विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने में विलम्ब करें।
- सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि उनके इस निर्णय की प्रतिलिपि सभी हाई कोर्ट को व राज्यपालों के प्रमुख सचिवों को भेजें।

अदालत ने साफ-साफ शब्दों में कहा, "जहाँ राज्यपाल किसी विधेयक को, राष्ट्रपति के विचारार्थ, अपने पास आरक्षित रूप से रख लेते हैं तथा राष्ट्रपति इसके बदले में अपनी सम्मति एवं सहमति रोक लेते हैं, तो राज्य के राज्यपाल इस प्रकार की कार्यवाही को अदालत की जानकारी में लाने के लिये स्वतंत्र होंगे।

अदालत ने कहा, "जो विधेयक राज्यपाल के पास जरूरत से ज्यादा समय तक लम्बित हों, तथा राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को आरक्षित रखने में नेकनीयती के स्पष्ट अभाव से काम लिया हो, जैसा कि इस अदालत के इस निर्णय की घोषणा की तुरन्त बाद पंजाब में हुआ, तो इन विधेयकों पर राज्यपाल की सम्मति उसी तिथि को आ जानी चाहिये, जिस दिन वे विधेयक पुनर्विचार के बाद, उनके सामने प्रस्तुत किये गये हों।" अदालत ने राज्यपाल के पद के दुरुपयोग पर जबरदस्त नाराज़गी व्यक्त की।

बैंच ने अपने निर्णय में कहा, "संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, राज्यपाल द्वारा अपना कार्य सम्पन्न करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। कोई निर्धारित समय सीमा न होने के बावजूद, अनुच्छेद 200 का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अदालती आदेश के बाद भी बकाया का भुगतान क्यों नहीं हुआ?

जयपुर, 12 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा सचिव को 21 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने को कहा है। अदालत ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि अदालती आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता का बकाया भुगतान क्यों नहीं किया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अदालती आदेश की पालना हो जाती है तो शिक्षा सचिव को हाजिर होने की जरूरत नहीं है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश कृष्ण अवतार गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को 21 अप्रेल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिये।

याचिका में अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह और अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग में कार्यरत था। विभाग की ओर से पूर्व में उसका तबादला किया गया था, जिसे अदालत ने स्टे कर दिया था। वहीं इस अवधि का विभाग ने उसका अक्टूबर, 2019 से मई, 2021 का वेतन परिलाभ भुगतान नहीं किया था। इस पर उसने राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में अपील दायर कर चुनौती दी थी। अधिकरण में विभाग की ओर से कहा गया था कि अपीलार्थी को इस अवधि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वोट बैंक पर आधारित राजनीति अब भारी पड़ रही है ममता बनर्जी को

वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में बंगाल के सीमांत जिलों में, विशेषकर मुर्शिदाबाद व मालदा में भारी दंगे, तीन व्यक्ति मारे गये

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अप्रेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने पिछले ग्यारह वर्षों की राजनीति का कड़वा फल भुगत रही हैं यह राजनीति, जिसमें उन्होंने राज्य के कुछ समुदायों को तुष्ट करने और उनके वोट पाने के लिए लगातार रियायतें दीं।

अगर यह राजनीतिक रणनीति पहले काम आई थी, तो अब यह ज़हरीले फल भी दे रही है। आज हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और जिले में दंगाई भीड़ उग्र रूप से तांडव कर रही है।

आशंका जताई जा रही है कि बाँग्लादेश की सीमा से लगे इन जिलों में बाँग्लादेश के जेहादी संगठनों की सक्रिय भागीदारी है, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन घटनाओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो गृह मंत्री भी हैं, तथा सम्पूर्ण पुलिस विभाग की विफलता को उजागर कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए केन्द्रीय बलों की तत्काल तैनाती की अपील की है, जिसके लिए राज्य के

- कोलकाता हाई कोर्ट ने तुरन्त केन्द्रीय रक्षा बल तैनात करने की बात कही, दंगाइयों पर नियंत्रण करने के लिये।
- पुलिस वाहन जलाये गये तथा पुलिसकर्मियों पर खुलकर आक्रमण हुए।
- लगातार अल्पसंख्यक वोट को पुचकार कर रखने की नीति से दंगाई बेफिक्र हुए। भारत व बाँग्लादेश के बीच सीमा पर तारबंदी के कई प्रयास हुए, पर, तृणमूल कांग्रेस के बाहुबलियों ने ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिये और अब सीमा पार से बाँग्लादेश के जिहादी तत्व भी दंगा फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
- वक्फ संशोधन विधेयक का देश में कई स्थानों पर विरोध हो रहा है, पर, इतनी हिंसा, तोड़-फोड़, आगजनी व पुलिस पर आक्रमण की घटनाएं और कहीं नहीं हुईं।
- पर, अभी भी बंगाल की सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर सख्त कार्यवाही से बच रही है।
- पर, अब कहीं पुलिस में ही विद्रोह शुरु न हो जाए?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ई.डी. ने सोनिया गांधी व राहुल गांधी को नोटिस दिया

ई.डी. के नोटिस का मन्तव्य है, नैशनल हैरल्ड को, जिसकी कीमत 661 करोड़ रूपए आंकी गई, को अधिगृहित करना

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अप्रेल। एन्फोर्समेन्ट डायरैक्टोरेट (ईडी) ने 661 करोड़ रु. की कीमत की उन सम्पत्तियों का कब्जा लेने के लिए नोटिस जारी कर दिये हैं, जो ईडी ने कांग्रेस-नियंत्रित "एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ मनी लॉन्डरिंग के केस में अटैच कर ली थीं। इस केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बतौर आरोपी नामज़द हैं। ईडी ने ये अचल सम्पत्तियाँ नवम्बर 2023 में अटैच की थीं।

ईडी का केस एजेएल तथा इसकी होल्डिंग कम्पनी "यंग इंडियन" के विरुद्ध है। समाचार पत्र "नैशनल हैरल्ड" की प्रकाशक एजेएल है तथा इसकी मालिक "यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है। सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी यंग इंडियन के प्रमुख शेयर होल्डर हैं। इन दोनों में से प्रत्येक के पास इसके 38 प्रतिशत शेयर हैं।

- ई.डी. का कहना है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि नैशनल हैरल्ड प्रकाशन का मालिक है, में सोनिया गांधी व राहुल गांधी के 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।
- ई.डी. ने नवम्बर 2023 में एसोसिएटेड जर्नल्स की सम्पत्ति अटैच की थी, मनी लॉण्डरिंग" के मामले में।
- ई.डी. ने यह नोटिस नई दिल्ली के हैरल्ड हाउस, नैशनल हैरल्ड के मुम्बई के बांद्रा एरिया में स्थित ऑफिस व एसोसिएटेड जर्नल्स की लखनऊ में विश्वेश्वर नाथ रोड पर स्थित बिल्डिंग पर चस्पा किये हैं।

ईडी ने आरोप लगाये हैं कि यंग इंडियन तथा एजेएल का उपयोग, 18 करोड़ रु. की कीमत के फर्जी दान, 38 करोड़ रु. की कीमत का फर्जी अग्रिम किराये तथा 29 करोड़ रु. के फर्जी विज्ञापनों के रुप में, अपराध की आगे की प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिये किया जाता था।

यह केस मूलरुप से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया था, जिन्होंने सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी पर उनके द्वारा "आपराधिक दुरुपयोग (क्रिमिनल निसएप्रोप्रिएशन)" किये जाने का आरोप लगाया था। यह केस दर्ज होने से पहले, यंग इंडियन ने 2010

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके

श्रीनगर, 12 अप्रैल। कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किये गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज अपराह्न करीब एक बजे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भूकंप के मध्यम दर्जे झटके महसूस किये गये है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.8 आंकी गयी और जो जमीनी सतह से 10 किलोमीटर गहराई में स्थित था। भूकंप

- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के अनुसार, भूकंप के झटके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महसूस किए गए।

का केंद्र रावलपिंडी से 60 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में 33.70 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74.46 पूर्वी देशांतर पर स्थित था। इसके झटके कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए।

अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के कई हिस्सों में भी भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग घरों से बाहर निकल आये, हालांकि कहीं से भी किसी प्रकार के नुकसान या जानमाल की हानि की अभी कोई खबर नहीं है।

'भाजपा व अन्नाद्रमुक गठबंधन "कॉमन मिनिमम प्रोग्राम" के आधार पर काम करेगा'

स्टालिन ने अमित शाह के इस वक्तव्य पर व्यंग कसते हुए कहा, "क्या केन्द्र सरकार की हिन्दी थोपने की नीति, डीलिमिटेशन की राजनीति व वक्फ संशोधन इस "कॉमन मिनिमम प्रोग्राम" का हिस्सा होंगे?"

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अप्रेल। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बिना समय गंवाए हमला बोल दिया उनके हमले का केन्द्र था अन्नाद्रमुक -भाजपा गठबंधन, जो 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए किया गया है। उन्होंने इसे एक "एन एलायंस ऑफ डिफीट" (पराजय का गठबंधन) कहकर खारिज कर दिया।

स्टालिन ने कहा इन दोनों दलों ने ऐसे गठबंधन को जिंदा करने का प्रयास किया है जिसका कोई वैचारिक आधार नहीं है इसी के साथ उन्होंने अपने विशिष्ट मुद्दों को लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला। ये मुद्दे हैं नीट, द्विभाषा फॉर्मूला, परिसीमन और तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार, तमिलनाडु को उसके हक का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है।

- अन्नाद्रमुक ने इस व्यंग का जवाब देते हुए कहा, "डी.एम.के. का भ्रष्टाचार व प्रजातंत्र के नाम पर परिवारवाद" उनके गठबंधन का "कॉमन मिनिमम प्रोग्राम" होगा।
- डी.एम.के. ने पलटवार करते हुए कहा, "अन्नाद्रमुक के मुँह से भ्रष्टाचार की बात अजीब लगती है, क्योंकि उनकी मु.मंत्री जयललिता को दो बार मु.मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, भ्रष्टाचार के कारण और वे चार साल जेल में रही थीं।"

ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अन्नाद्रमुक भी स्टालिन के साथ है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भाजपा व अन्नाद्रमुक में मतभेद हैं। अन्नाद्रमुक के लिए यह स्पष्ट करना मुश्किल हो सकता है कि वह ऐसी पार्टी के साथ क्यों है जो तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की कोशिश में लगी है इसी वजह से परिसीमन और द्विभाषा मुद्दा उठा है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी मुद्दे पर द्रमुक पर हमला किया और पूछा कि तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया है।

एक बात पक्की है कि अन्नाद्रमुक और भाजपा के गठबंधन के बाद तमिलनाडु का चुनाव रोचक हो गया है। जहाँ तक स्टालिन की बात है उनकी "अटैक लाइन" एकदम स्पष्ट है। स्टालिन ने कहा, शाह ने गठबंधन की तो पुष्टि कर दी, पर यह नहीं बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)